‘’ आरटीआई आवेदन प्राप्त एवं निराकरण ‘’

(सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4 (1) (बी) (xxi) के अंतर्गत)

राज्य लोक सेवा अभिकरण म.प्र. भोपाल में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्राप्त आवेदनों की जानकारी –

01 जनवरी 2024 से 31 दिसम्बर 2024 तक

आवेदन	प्राप्त	निराकृत
मूल आवेदन	**13**	**13**
प्रथम अपील आवेदन	**02**	**02**
द्वितीय अपील आवेदन	**00**	**00**

नोट –(i) द्वितीय अपील आवेदनों का निराकरण मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग द्वारा किया जाता है।

एमपी ई-सर्विसेज पोर्टल https://services.mp.gov.in के माध्यम से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्राप्त आवेदन

आवेदन	प्राप्त	निराकृत
मूल आवेदन	**14**	**14**